


20/06/25


पत्रावली पेश हुई। वकील अभयपद उप।  
पत्रावली वास्ते जवाब शब्दपत्र क्र  
सं. 1 से 5 दि. 23/06/25 को पेश हो।

  
20/6/25

23/06/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अभयपद उप।  
पत्रावली एवं मूल वाद प्रसं. 17/2023  
का अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण सं.  
17/2023 में O.A. CPC शब्दपत्र स्वीकार  
होकर मूल वाद खारिज कर फैसला  
शुमार हो चुका है। ऐसे में इस शब्द  
पत्र को चालाने का कोई औचित्य  
उचित नहीं होगा है। अतः शब्दपत्र  
इसी स्वर पर खारिज कर संबंध  
मूल वाद खिया जाता है। पत्रावली  
फैसला शुमार होकर नम्बर से कट  
होकर दाखिल दफ्तर हो।





23/6/25

उपखण्ड अजिंठारा

मिठावा, 17/06/25 (वकील)